नातेदारी के भेद
(Types of Kinship)

नाते-रिश्तेदारो को मोटे तौर पर दो श्रेणियो मे बाँटा जा सकता है—(१) विवाह-सम्बन्धी नातेदारी (Affinal Kinship) तथा (२) रक्त-सम्बन्धी नातेदारी (Consanguineous Kinship)।

(१) **विवाह-सम्बन्धी नातेदारी** के अन्तर्गत न केवल विवाह-सम्बन्ध द्वारा सबद्ध पति-पत्नी ही आते है बल्कि इन दोनो के परिवारो के अन्य सम्बन्धी भी आ जाते हैं। जब एक व्यक्ति विवाह करता है तो उसे स्वभावत यह पता चलता है कि विवाह नामक सस्था ने न केवल दो स्त्री-पुरुष के बीच सम्बन्ध स्थापित किया है, बल्कि इन दोनो से सम्बन्धित अन्य अनेक व्यक्ति एक-दूसरे से सम्बद्ध हो गये हैं। उदाहरणार्थ, विवाह के पश्चात् एक पुरुष केवल एक पति ही नही बनता, बल्कि बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, ननदोई, मौसा, साढू आदि भी बन जाता है। उसी प्रकार एक स्त्री विवाह के पश्चात् पत्नी बनने के अलावा पुत्र-वधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी आदि भी बन जाती है या बन सकती है। इनमे से प्रत्येक सम्बन्ध के आधार दो व्यक्ति हैं, जैसे साला-बहनोई, सास-दामाद, साली-जीजा, देवर-भाभी, पति-पत्नी, सास-वधू आदि। इस प्रकार से विवाह द्वारा सम्बद्ध समस्त सम्बन्धियो या नातेदारो को विवाह-सम्बन्धी (Affinal Kinship) कहते हैं।

(२) **रक्त-सम्बन्धी नातेदारी** के अन्तर्गत वे लोग आते हैं जो कि समान रक्त के आधार पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हो। उदाहरण के लिये माता-पिता और उनके बच्चो के बीच अथवा दो भाइयो के बीच या दो भाई-बहन के बीच का सम्बन्ध रक्त के आधार पर ही आधारित है। इस सम्बन्ध मे यह भी स्मरणीय है कि रक्त-सम्बन्धी नातेदारो मे रक्त-सम्बन्ध वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। दूसरे शब्दो मे रक्त-सम्बन्ध केवल प्राणीशास्त्रीय (biological) आधार पर ही नही, अपितु समाज-शास्त्रीय (sociological) आधार पर भी स्थापित हो सकता है। उदाहरणार्थ, जिन समाजो मे बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है वहाँ प्राणीशास्त्रीय आधारो पर यह निश्चित करना असम्भव है कि कौन-सा बच्चा किस पति का है। इसलिये वहाँ पर प्राणी-शास्त्रीय पितृत्व (biological fatherhood) को गौण मानकर समाजशास्त्रीय पितृत्व (sociological fatherhood) को अधिक मान्यता दी जाती है। नीलगिरी की बहुपति-विवाही टोडा जनजाति मे सामाजिक पितृत्व एक विशेष सस्कार 'पुरसुरपिमी' द्वारा निश्चित किया जाता है। जो व्यक्ति गर्भवती स्त्री को उसके प्रसव के पाँचवें महीने मे धनुष-बाण भेंट करता है, वही उस स्त्री की होने वाली सभी सन्तानो का पिता तब तक कहलाता रहता है जब तक दूसरा कोई पति उसी प्रकार का सस्कार न करे। ईसाई मत के प्रारम्भ होने से पहले जर्मन नियम के अनुसार एक बच्चा उस समय तक परिवार का सदस्य नही बन सकता है, जब तक कि पिता कुछ सामाजिक सस्कारो के द्वारा उसे अपना पुत्र स्वीकार नही करता। आस्ट्रेलिया के आदिवासियो मे एक कुल की स्त्रियाँ दूसरे कुल की भावी पत्नियाँ समझी जाती हैं और इसलिये वहाँ के लोग उन समस्त पुरुषो के लिये जो कि उनकी माताओ के भावी पति हो सकते हैं 'पिता' शब्द का प्रयोग करते है। उसी प्रकार प्राय सभी समाजो मे बच्चो को गोद लेने की प्रथा है। गोद लिये हुए बच्चो के साथ भी माता-पुत्र या पुत्री, पिता-पुत्र या पुत्री आदि का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जो कि वास्तविक रक्त-सम्बन्ध नही बल्कि अनुमानित रक्त-सम्बन्ध पर आधारित होता है।